

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**

**मांग संख्या 16**

**उपभोक्ता मामले विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	124.16	220.66	344.82	188.66	255.20	443.86	169.71	504.94	674.65	201.54	355.56	557.10	
पूँजी	22.06	...	22.06	31.34	...	31.34	28.29	...	28.29	23.46	...	23.46	
जोड़	146.22	220.66	366.88	220.00	255.20	475.20	198.00	504.94	702.94	225.00	355.56	580.56	
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	3451	...	14.45	14.45	...	16.21	16.21	...	16.18	16.18	...	16.42	16.42
उपभोक्ता मामले													
2. राष्ट्रीय परीक्षण शाला	3425	2.08	23.35	25.43	1.77	21.67	23.44	2.27	22.24	24.51	3.00	22.26	25.26
	5425	11.39	...	11.39	13.68	...	13.68	13.18	...	13.18	16.00	...	16.00
जोड़		13.47	23.35	36.82	15.45	21.67	37.12	15.45	22.24	37.69	19.00	22.26	41.26
3. उपभोक्ता संरक्षण	3456	76.34	5.89	82.23	84.23	6.39	90.62	79.38	6.35	85.73	89.18	6.57	95.75
	3601	11.72	...	11.72	19.39	...	19.39	14.19	...	14.19	20.75	...	20.75
	3602	...	...	...	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	0.90	...	0.90
जोड़		88.06	5.89	93.95	104.37	6.39	110.76	94.32	6.35	100.67	110.83	6.57	117.40
4. बाट और माप का विनियमन	3475	4.54	3.70	8.24	30.00	4.24	34.24	34.50	4.06	38.56	35.74	4.02	39.76
	3601	21.23	...	21.23	14.37	...	14.37	10.37	...	10.37	16.76	...	16.76
	3602	0.25	...	0.25	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	5475	0.87	...	0.87	10.88	...	10.88	9.38	...	9.38	5.00	...	5.00
जोड़		26.89	3.70	30.59	56.25	4.24	60.49	54.75	4.06	58.81	58.00	4.02	62.02
5. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतियोगिता आयोग	5475	9.80	...	9.80	3.44	...	3.44	2.39	...	2.39	...	...	...
6. बाजारों का विनियमन	3475	6.79	5.15	11.94	15.75	6.59	22.34	9.68	6.01	15.69	12.50	6.19	18.69
7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (अंशदान)	3475	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
8. दलहनों के आयात पर सन्निधि	2408	...	168.02	168.02	...	200.00	200.00	...	450.00	450.00	...	300.00	300.00
जोड़-उपभोक्ता मामले		145.01	206.21	351.22	195.26	238.99	434.25	176.59	488.76	665.35	200.33	339.14	539.47
9. उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं													
9.01 उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं													
9.01.01 उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं	3456	...	9.51	9.51	...	10.30	10.30	...	13.28	13.28	...	16.30	16.30
	3601	...	1.30	1.30	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00

<http://indiabudget.nic.in>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3602	...	0.05	0.05	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	
जोड़	...	10.86	10.86	...	13.80	13.80	...	16.78	16.78	...	19.80	19.80	
9.01.02 घटाइए - उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरी की गई धनराशि	3456	...	-9.51	...	-10.30	-10.30	...	-13.28	-13.28	...	-16.30	-16.30	
3601	...	-1.30	-1.30	...	-3.00	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00	-3.00	
3602	...	-0.05	-0.05	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	
जोड़	...	-10.86	-10.86	...	-13.80	-13.80	...	-16.78	-16.78	...	-19.80	-19.80	
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>उद्योग</b>													
10. उपभोक्ता उद्योग	2852	1.21	...	1.21	2.74	...	2.74	1.32	...	1.32	2.17	...	2.17
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	18.66	...	18.66	16.75	...	16.75	20.04	...	20.04
4552	...	...	...	...	3.34	...	3.34	3.34	...	3.34	2.46	...	2.46
जोड़	...	...	...	...	22.00	...	22.00	20.09	...	20.09	22.50	...	22.50
<b>कुल जोड़</b>		<b>146.22</b>	<b>220.66</b>	<b>366.88</b>	<b>220.00</b>	<b>255.20</b>	<b>475.20</b>	<b>198.00</b>	<b>504.94</b>	<b>702.94</b>	<b>225.00</b>	<b>355.56</b>	<b>580.56</b>
	<b>विकास शीर्ष</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>
<b>ग. योजना परिव्यय</b>													
1. उपभोक्ता उद्योग	12860	1.21	...	1.21	2.74	...	2.74	1.32	...	1.32	2.17	...	2.17
2. नागरिक आपूर्ति	13456	145.01	...	145.01	195.26	...	195.26	176.59	...	176.59	200.33	...	200.33
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	22.00	...	22.00	20.09	...	20.09	22.50	...	22.50
<b>जोड़</b>		<b>146.22</b>	<b>...</b>	<b>146.22</b>	<b>220.00</b>	<b>...</b>	<b>220.00</b>	<b>198.00</b>	<b>...</b>	<b>198.00</b>	<b>225.00</b>	<b>...</b>	<b>225.00</b>

1. 1: यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. यह प्रावधान राष्ट्रीय परीक्षण शाला विभाग के लिए है।

3. यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सचिवालय व्यय लिए है।

इसमें उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम के तहत विज्ञापन और प्रचार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर उपभोक्ता मंचों के सुदृढीकरण के संबंध में उपभोक्ता मंचों के नेटवर्किंग कार्यक्रम के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

4. यह प्रावधान बाट तथा माप एकक, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं तथा भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्था न के सचिवालय व्यय के लिए है, जिसमें मुख्यतः निर्माण कार्य तथा क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी और उपकरण भी शामिल हैं। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर बाट तथा माप आधार-ढांचे के सुदृढीकरण के कार्यक्रम के लिए भी प्रावधान शामिल है।

5. यह प्रावधान राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए किया गया है।

6. यह प्रावधान वायदा बाजार आयोग के संबंध में स्थापना व्यय के लिए है। इसमें वायदा बाजार आयोग का सुदृढीकरण कार्यक्रम भी शामिल है।
7. यह प्रावधान विधिक माप विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अंशदान के लिए है।
8. यह प्रावधान दालों के आयात पर एम एम टी सी, पी ई सी, एस टी सी और नेफेड को हुए घाटे के 15% और सी आई एफ के 1.2% के सेवा प्रभार की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ एम एम टी सी, पी ई सी, एस टी सी, नेफेड और एन सी सी एफ द्वारा 10 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी पर राज्य सरकारों को आयातित दालों के वितरण के लिए है।
9. यह प्रावधान उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत आने वाली स्कीमों के लिए है।
10. यह प्रावधान भारत में सोने के हॉलमार्किंग/एसेइंग केंद्रों की स्थापना के लिए किया गया है।
11. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के वास्ते एकमुश्त प्रावधान।